-:प्रेस नोट:-

दिनांक 16.09.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **अपर पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा पुलिस लाइन में विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) के तत्वाधान को लेकर बाल विवाह, किशोर अपराधों/हिंसा व महिला सम्बन्धी अपराधों आदि की प्रभावी रोकथाम के संबंध में की गयी मासिक समीक्षा बैठक। सभी सम्बन्धित को दिए गए आवश्यक दिशा- निर्देश।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में आज दिनांक 16.09.2026 अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज की अध्यक्षता में पुलिस लाइन में विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) के तत्वाधान में बाल विवाह, किशोर अपराधों/हिंसा व महिला सम्बन्धी अपराधों आदि की प्रभावी रोकथाम के संबंध में मासिक समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान गुमशुदा बच्चों को खोजने तथा उनकी सूचना समय से CCTNS एवं वात्सल्य पोर्टल में फीडबैक के साथ अपडेट किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। बरामद बालिकाओं के नियमानुसार आंतरिक चिकित्सीय परीक्षण कराए जाने की प्रक्रिया को विस्तार से बताया गया एवं आने वाली समस्याओं का भी समाधान किया गया। महिला पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अपराध से पीड़ित होने की स्थिति में आवश्यकता अनुसार काउंसलिंग कराते हुए आंतरिक चिकित्सीय परीक्षण अनिवार्य रूप से कराया जाए। महिला सम्बन्धी मामलों में पर्याप्त एवं सुसंगत साक्ष्य संकलन किए जाने हेतु विवेचकों को निर्देशित किया गया। साथ ही पीड़ित बच्चों की गोपनीयता बनाए रखते हुए उन्हें बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष प्रस्तुत कर उनके संरक्षण, देखरेख एवं पुनर्वास को सुनिश्चित किये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया। बैठक में देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों (Children in Need of Care and Protection-CNCP) तथा विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों (Children in Conflict with Law-CCL) के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि यदि कोई नाबालिग बच्चा किसी अपराध में संलिप्त पाया जाता है, तो गंभीर अपराधों को छोड़कर, ऐसे अपराध जिनमें अधिकतम सजा 7 वर्ष से कम है, उनमें बच्चे के विरुद्ध सीएस की कार्यवाही नहीं की जाएगी। यदि कोई बच्चा बार-बार किसी भी प्रकार के अपराध में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके पुनर्वास, सुधार एवं उचित संरक्षण हेतु बाल संरक्षण विभाग के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएं। समीक्षा बैठक में सभी सम्बन्धित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहें।